

पुलिस विभाग अजमेर

प्रेस नोट 02.01.2018

# जुआ खेलते एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना नसीराबाद सिटी द्वारा टास्क कार्यवाही करते हुये शक्स श्री करण सिंह पुत्र श्री नानक सिंह जाति कोली उम्र 48 साल निवासी सुन्हरी मौहल्ला थाना अलवर गेट जिला अजमेर को सार्वजनिक स्थान पर सटटे की खाईवाली करते हुये गिरफ्तार किया गया जिस पर थाना हाजा पर मुकदमा नम्बर 02/2018 13 आरपीजीओ मे मुकदमा दर्ज किया गया।

# अवैध शराब सहित एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना अरांई मे पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार स.उ. नि मुकेश कुमार मय रामरतन मय जीप सरकारी मय चालक रामस्वरूप मय अनुसंधान बॉक्स मय गिरफ्तारशुदा मुल्जिम शिवराज ग्राम चौसला बस स्टेण्ड पर पंहुचा की मुखबिर खास ने सउनि को इत्तला दी कि एक व्यक्ति चौसला ढाबा के सामने एक कटटा लिये खडा है जिसमें अवैध शराब हो

सकती है। आदि इत्तला से हमराही जाप्ता को अवगत कराया गया एवं हमराह जाप्ता में से रामरतन को दो स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने हेतु हिदायत कर रवाना किया जिसने कुछ समय पश्चात वापस आकर मुझे बताया कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट कचहरी के डर से गवाह बनने को तैयार नहीं है। जिस पर हमरा जाप्ता में रामरतन व रामस्वरूप को गवाह मामूर कर रवाना हो चौसला ढाबा गांव चौसला के सामने पहुंचे तो मुताबिक ईत्तला के एक व्यक्ति चौसला ढाबे के सामने सिर पर एक सफेद प्लास्टिक का कट्टा रखा हुआ दिखायी दिया, जिसको हाथ से रूकने का इशारा किया तो भागने का असफल प्रयास किया जिसको हमराही जाप्ता के बामुश्किल पकडा व तसल्ली देकर नाम पता पूछा तो अपना नाम शिवराज पुत्र श्रीकिशन जाति जाट उम्र 27 साल निवासी रामनेर की ढाणी पुलिस थाना गांधी नगर जिला अजमेर का होना बताया एवं प्लास्टिक के कट्टे में रखे हुये सामान बाबत पूछा तो घबराते हुये कुछ नहीं होना बताया जिस पर प्लास्टिक के कट्टे में रखे कार्टूनो को खोलकर चैक किया तो ढोला मारू स्ट्राग देशी शराब के कुल 55 प्लास्टिक के पव्वे एवं कुल 14 बियर की बोतले हाईवरड की भरी हुयी मिली। मौके की कार्यवाही कर हाजिर थाना आकर रिपोर्ट पेश की जिस पर प्रकरण संख्या 02/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में दर्ज किया गया।

10 एमवी एक्ट के चालान किये गये।

पुलिस थाना अलवर गेट में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के आदेशो की पालना मे आज दिनांक को नियम विरुद्ध वाहन चलाते हुऐ पाये जाने पर 10 एमवी एक्ट के चालान किये गये ।